Court of Additional Sessions Judge- I, Danapur

Session Trial No – 206 of 2018

18-09-2025

काराधीन अभियुक्त मिराज कुमार, पिता– बाबु राम, निवासी ग्राम– टुरहा टोली, थाना– शाहपुर, जिला–पटना की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को संचालित किया गया, जिसकी प्रति सहायक लोक अभियोजक को भी दी गई। उनके विद्वान अधिवक्ता का अपना कथन है कि आवेदक अभियुक्त ने जानबूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का बंध–पत्र दिनांक 12.12.2019 को पैरवी के अभाव में खंडित कर दिया गया था। अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करने को तैयार है कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करेगा एवं सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.01.2024 से काराधीन है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक का बंध–पत्र पैरवी के अभाव में खंडित किया गया है, अतः इनका जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया। चुंकि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था तथा दिनांक 12.12.2019 को पैरवी के अभाव में इनका बंध–पत्र खंडित किया गया है एवं आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.01.2024 से काराधीन है। अतः अभियुक्त मिराज कुमार को मो0– 10000/– रूपये के समान राशि से समर्थित दो प्रतिभुओं का बंध–पत्र तथा इस आशय का वचन पत्र देने पर अभियुक्त मामले में वाद के निस्तारण तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा, दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

Sd./-

अ0स0न्या0–1